न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 52/2017
आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या /2017/00367

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत,		1 मांगीलाल पुत्र रामाराम 2 लक्ष्मणराम पुत्र रामाराम 3 रतनलाल पुत्र रामाराम 4 कौशल्या पत्नी सोहनलाल 5 जितेन्द्र पुत्र सोहनलाल 6 इन्द्रा पुत्री सोहनलाल 7 अनिता पुत्री सोहनलाल 8 पुजा पुत्री सोहनलाल 9 ज्योति पुत्री सोहनलाल 10 गंगा पुत्री रामाराम 11 सीता पुत्री रामाराम 12 मैना पुत्री रामाराम 13 कमला पुत्री रामाराम जातिगण माली, निवासीगण सोजत सिटी, तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
श्री खुशवन्त सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 10, 12, 13

–: निर्णय :–

दिनांकः–22/01/2018

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सोजत चक I के नामान्तरकरण संख्या 3855 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोजत चक I के खसरा नमबर 6036, 6039, 6040, 6048 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 0.6300 हेक्टेयर की भूमि रामा पुत्र चुतराराम कौम माली की खातेदारी भूमि थी। खातेदार रामा फौत होने पर रेस्पोडेन्ट लक्ष्मणराम व मांगीलाल के निवेदन पर जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये रामा के विधिक वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात यह ज्ञात हुआ कि जैर अपील नामान्तरकरण में खातेदार रामा की पत्नि नारायणी, जो जिवित थी, उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से छूट गया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किया है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

रेस्पोडेन्टगण की माता नारायणी जीवित है, जिसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना विधिवत उचित है। अतः अपील स्वीकार की जाती है, तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सोजत चक I का नामान्तरकरण संख्या 1855 खातेदार रामा पुत्र चुतराराम के फौत होने पर रेस्पोडेन्टगण के नाम दायर किया गया है। उक्त नामान्तरकण में रामा की पत्नि का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत कर रामा की पत्नि नारायणी का नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट्स ने नारायणी को रामा की पत्नि होना स्वीकार करते हुए अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सोजत चक I के नामान्तरकरण संख्या 3855 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार रामा पुत्र चुतराराम के विधिक वारिशान की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली